ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी-परिपत्र संख्या- 25 /2019

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
गोमती नगर विस्तार-7,
पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः मानसून अवधि के दौरान कच्छा बनियान गिरोह/घुमक्कड़ अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों एवं विशिष्ट प्रकार के विभिन्न अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रों के अनुरूप मानसून अवधि में विशिष्ट प्रकार के अपराध एवं अपराधियों द्वारा विभिन्न तरीके से अपराध कारित करने के प्रयास किये जाते हैं, जिसमें मुख्यता ग्रामीण अचंलों में चोरियां, शहरी क्षेत्रों में बाहरी क्षेत्रों में बने हुये मकानों/दुकानों में नकब, चोरी, लूट, डकैती, पशु चोरी की घटनायें बढ़ जाती हैं।

प्रायः देखा गया है कि बरसात एवं जाड़े के मौसम में घुमक्कड़/कच्छा बनियान गिरोहों की गतिविधियां बढ़ जाती है, जो कस्बों, गांवो एवं शहरों की नई बस्तियों एवं एकान्त में बने मकानों को चिहिन्त कर चोरी व लूट के अपराधों को अजांम देते है तथा कभी-कभी वीभत्स हिंसात्मक घटनाऐं भी कर देते हैं। आप सहमत होंगें कि बारिश व ठंड में अधिकतर लोग अपने-अपने मकानों में अन्दर ही सोते हैं जिससे आस-पास के मकानों में हो रही इस प्रकार की घटनाओं का अभास आस-पास के लोगों को नही हो पाता है। बरसात के दौरान अधेंरी रातों व सुनसान स्थलों का लाभ उठाकर अपराधी आसानी से अपराध कारित करने में सफल हो जाते है। जिनके रोक-थाम हेतु ऐसे अपराधों पर अकुंश लगाये जाने हेतु पूर्व से ही कार्ययोजना तैयार कर एवं पुलिस सक्रियता को महत्तम कर ऐसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है।

ऐसे अपराधों तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु कतिपय सुझाव अनुवर्ती प्रस्तरों में अनुपालनार्थ सुझाये गये हैं:-

- अपने-अपने क्षेत्र में दूर-दूर बनी बस्तियों व एकान्त में बने मकानों को ग्राम/मुहल्ला वाइज चिहिन्त कर लिया जाये। प्रत्येक बीट आरक्षी को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसके बीट क्षेत्र में कौन सा मकान आबादी से दूर स्थित है, किस मकान में वृद्ध व्यक्ति अथवा महिलायें/बच्चे रहते है तथा पुरूष सदस्य अपेक्षाकृत कम रहते है अथवा बाहर रहते है, क्योकि ऐसे घरों को ही इस प्रकार के गिरोह अपना लक्ष्य बनाते हैं। यह सुनिश्चित करें कि ऐसे घरों के आस-पास पुलिस की सक्रियता रात्रि काल में अधिक हो, ऐसे घरों में निवास करने वाले परिवारों के पास बीट के आरक्षी एवं उपनिरीक्षक का मोबाइल नम्बर अवश्य हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर पीड़ित पक्ष उनसे तत्काल सम्पर्क कर सके।
- रात्रि में प्रत्येक थाना क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में गश्त निकाला जाए। गश्त पर उनकी उपलब्धता एवं सक्रियता की जांच औचक रूप से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करें। संवेदनशील राजमार्गो पर गश्त हेतु पर्याप्त संख्या में पेट्रोलिंग वाहन लगाए जाएं तथा संवेदनशील स्थलों पर सुदृढ़ पुलिस पिकेट लगायी जाएं।
- रात्रि गश्त हेतु थानों एवं चौकियों में प्राथमिकता के आधार पर स्टाफ की रिक्तियों की पूर्ति की जाए। जिन संवेदनशील थाने/चौकियों पर प्राप्त जनशक्ति/संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनकी पूर्ति अन्य थानों से की जाए।
- थानों एवं चौकियों पर लगे वायरलेस एवं अन्य संचार उपकरणों जैसे टेलीफोन इत्यादि को चेक कर लिया जाये कि वह क्रियाशील है अथवा नहीं।
- विगत10 वर्षो में इस प्रकार की घटित घटनाओं में प्रकाश में आये अपराधियों के विरूद्ध सत्यापन अभियान नये सिरे से चलाया जाए। कभी-कभी अपराधी दूसरे जनपद के होते है अतः परिक्षेत्र एवं जोन इस सम्बन्ध में समन्वयात्मक भूमिका निभायें तथा ऐसे अपराधियों की सक्रियता पाये जाने पर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए। अपराधियों के फोन नम्बर सर्विलाइंस पर ला कर उनकी गतिविधियों पर निरंतर सर्तक दृष्टि रखी जाय।

Scanned by CamScanner

- ऐसे अपराधी विशेष रूप से शहरों के बाहरी इलाकों, रेलवे लाइन के किनारे, बस अड्डों-टैक्सी स्टैंडों एवं सड़कों के आस-पास खाली स्थानों पर अस्थायी डेरे लगा कर रहते हैं, अतः ऐसे सभी स्थानों एवं हाईवे के किनारे बने ढाबों पर चेकिंग करायी जाए। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।
- ऐसे इलाके जो इस प्रकार के अपराधों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील/सम्भावित हो सकते हों, वहां प्रभावी गश्त की व्यवस्था करायी जाए।
- ऐसे अभ्यस्त अपराधियों के जमानतदारों का पता लगाकर उनके विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जाए।
- जनपदों में ऐसे आवासीय क्षेत्र जो शहर से बाहर हों एवं अपराध की दृष्टि से संवेदनशील हों तो उन स्थानों पर विशेष रूप से रात्रि 12 बजे से 5 बजे के मध्य प्रभावी गश्त की व्यवस्था करायी जाए। हूटर/सायरन लगी गाड़ी का प्रयोग भी लाभप्रद होगा।
- सुनसान इलाकों में खड़े वाहनों की चेकिंग की जाए, जिनका प्रयोग घुमक्कड़ अपराधियों द्वारा घटनाएं कारित करने के बाद किया जा सकता है।
- इस प्रकार के अपराधी इलाकों में कबाड़ी/फेरी वाले, भींख मांगने वालो के रूप में मकानों की रेकी करते है, अतः ऐसे लोगों की विधिवत् चेकिंग की जाये।
- ग्राम मोहल्ला सुरक्षा समितियों को क्रियाशील बनाकर गश्त करायी जाये। रात्रि में गश्त करने वाले कर्मचारियों के पास डंडा, टार्च, सीटी इत्यादि उपकरण अवश्य हो तथा कभी भी अकेले गश्त पर कर्मचारियों को नही भेजा जाये। कम्यूनिकेशन प्लान/एस-10 का प्रभावी प्रयोग भी इस दिशा में लाभप्रद होगा।
- ग्रामों/मोहल्लो में डिजिटल वालन्टियर की संख्या बढ़ायी जाये ताकि सूचना का आदान प्रदान त्वरित हो सके।
- यूपी-100 की गाडियों में लगे स्टाफ को इस संबंध में विशेष रूप से ब्रीफ किया जाये तथा आवश्यकतानुसार इस दृष्टिकोण से उनका क्षेत्र पुर्ननिर्धारित किया जाये।

अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों के क्रम में अपने अधीनस्थ नियुक्त सभी राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुये ऐसे प्रकरणों में पूर्ण संवदेनशीलता बरतें तथा मानसून के दौरान आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें, उपरोक्त दिशा-निर्देश मार्ग दर्शन मात्र हैं। आप अपने जनपद के भौगोलिक परिस्थितियों एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर विस्तृत एवं विशिष्ट कार्य योजना बनाकर ऐसे अपराधों को रोकने एवं अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

मुझे विश्वास है कि आप अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल हो सकेंगे। कृपया इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण मनोयोग से सम्पादित करें।

भवदीय,

27/6/19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0

Scanned by CamScanner